

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-69

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।

ऊर्जा वित्त-पोषण संबंधी चुनौतियां

*69. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भविष्य के लिए ऊर्जा वित्त-पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"ऊर्जा वित्त-पोषण संबंधी चुनौतियां" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 27.07.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 69 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : जी, हाँ।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय, राज्य तथा निजी क्षेत्र के अंतर्गत अनुमानित निवेश विद्युत के लिए 15,01,666 करोड़ रूपए तथा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 3,18,626 करोड़ रूपए है।

वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाना, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी), स्वतंत्र विद्युत पारेषण कंपनियों (आईपीटीसी) तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (एनसीईएस) और कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए इक्विटी जुटाना तथा ऋण संबंधी वित्त-पोषण करना, वित्त-पोषण की कुछ चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान समय-समय पर उपयुक्त नीतिगत मध्यस्थता द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-724

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन में राज्यों का हिस्सा

724. श्रीमती शशिकला पुष्पा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों के विद्युत के हिस्से में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है जहां विद्युत स्टेशन स्थित हैं और विद्युत का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुंडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र से उत्पादित विद्युत में से तमिलनाडु के हिस्से को और बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, नहीं। तथापि, जनवरी 2011 में एनटीपीसी की 14 नई परियोजनाओं में गृह राज्य का आबंटन बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था। नाभिकीय विद्युत निगम की नई परियोजनाओं के संबंध में भी सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में इसी प्रकार का वितरण किया गया है।

(ग) और (घ) : कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र (2×1000 मेगावाट) की विद्युत को भी, केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन स्टेशन से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत के आबंटन के दिशा निर्देशों के आधार पर, तमिलनाडु सहित लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पहले ही आबंटित किया जा चुका है।

कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत स्टेशन की 2000 मेगावाट की कुल क्षमता में से तमिलनाडु को 925 मेगावाट का निश्चित हिस्सा आबंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य के अनुरोध पर सरकार के पास उपलब्ध 300 मेगावाट अनाबंटित विद्युत में से तमिलनाडु को 200 मेगावाट अनाबंटित विद्युत का अतिरिक्त आबंटन किया गया था।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-725

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

नए विद्युत संयंत्रों को चालू किया जाना

725. श्री आनन्द शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2012, 2013 और 2014 के दौरान कितने नए विद्युत संयंत्र चालू किए गए और इन संयंत्रों की संस्थापित क्षमता कितनी-कितनी है;
- (ख) नए विद्युत संयंत्रों के लिए मंत्रालय द्वारा कितनी मंजूरीयां प्रदान की गई हैं और इन संयंत्रों की संस्थापित क्षमता कितनी है; और
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान मंजूरी प्राप्त विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान चालू किए गए विद्युत संयंत्रों की संख्या उनकी संस्थापित क्षमता सहित इस प्रकार है:

वर्ष	चालू किए गए विद्युत संयंत्रों की संख्या	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
2012-13	45	20,622.8
2013-14	42	17,825.0
2014-15	40	22,566.3

(ख) और (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत का उत्पादन लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार, ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तथापि, जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की इच्छुक कोई भी उत्पादन कंपनी, जिसका पूंजीगत व्यय केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई राशि से अधिक हो, को सीईए की सहमति के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

गत तीन वर्षों के दौरान, सीईए ने 10,393 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 17 जल विद्युत परियोजनाओं को सहमति प्रदान की है, जिनमें से 3 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-726

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
का कार्यान्वयन

726. श्री नारायण लाल पंचारिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत राजस्थान राज्य के कितने जिलों और गांवों में कार्य शुरू हुआ है;
- (ख) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत अभी तक इस राज्य को संवितरित की जा चुकी निधि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार उपरोक्त योजना में छोटे गांवों (ढाणियों) को भी शामिल करने का विचार रखती है और यदि हां, तो इन्हें कब तक शामिल किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), जिसमें राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को (आरजीजीवीवाई) आर.ई. घटक के रूप में समाहित कर लिया गया है, को अनुमोदन प्रदान किया है। विद्युतीकृत गाँवों और डीडीयूजीजेवाई के आर.ई. घटक के अंतर्गत राजस्थान सरकार को जारी की गई निधियों की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	योजना	गैर विद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण		विद्युतीकृत गाँवों का गहन विद्युतीकरण		जारी की गई सब्सिडी रूपये करोड़) (में
		कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि	
1	वीं योजना10	1586	1586	14664	14664	357.63
2	वीं योजना11	2577	2576	18554	18554	637.58
3	वीं योजना12	0	0	25397	0	0.00
	कुल	4163	4162	58615	33218	995.21

(ग) : जनसंख्या मानदण्ड का लिहाज किए बिना शेष बचे गैर विद्युतीकृत गाँवों और बस्तियों/ढाणियों पर अब डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु विचार किया जा सकता है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं और आज की तारीख तक, राजस्थान सरकार द्वारा 11 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें 80 गैर विद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण और 5890 विद्युतीकृत गाँवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है, जिनका तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन नोडल एजेन्सी, रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) द्वारा किया जा रहा है।

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-727

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।

पावर सिस्टम डेवलेपमेंट फंड (पीएसडीएफ) के अंतर्गत
अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग

727. श्री भूपिंदर सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर सिस्टम डेवलेपमेंट फंड (पीएसडीएफ) में पड़ी अप्रयुक्त जमा राशि का संचरण प्रणाली में सुधार हेतु उपयोग करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं अथवा नहीं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय इस संबंध में कोई कदम उठाएगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ।

(ख) : उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-728

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन डाई ऑक्साइड
का उत्सर्जन

728. श्री प्रेम चन्द गुप्ता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होने से देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश के विद्युत कोल संयंत्र विश्व में सर्वाधिक पानी की खपत करते हैं, जिसके कारण इन संयंत्रों को ग्रेडिंग में सबसे निचले स्तर पर रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इसमें सुधार हेतु कौन-कौन से कदम उठा रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जा रही निगरानी के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय विद्युत क्षेत्र से CO₂ उत्सर्जन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	कुल CO ₂ उत्सर्जन, मिलियन टन में	विनिर्दिष्ट CO ₂ उत्सर्जन किलोग्राम/किलोवाट प्रति घंटा
2009-10	580.0	1.07
2010-11	597.7	1.06
2011-12	637.3	1.05
2012-13	696.3	1.04
2013-14	727.4	1.03

यद्यपि देश में कोयला आधारित संयंत्रों में बड़े पैमाने पर हुई क्षमता अभिवृद्धि के कारण कुल CO₂ उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, तथापि, अधिक दक्ष उत्पादन तकनीकियों के उपयोग के कारण इन संयंत्रों से विनिर्दिष्ट CO₂ उत्सर्जन में कमी का रुझान देखने को मिल रहा है।

भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों में तुलनात्मक रूप से भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा और उच्च परिवेशी तापमान के कारण खपत योग्य जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। संयंत्र खपत योग्य जल आवश्यकता कच्चे जल की गुणवत्ता, कंडेंसर कूलिंग सिस्टम के प्रकार, कोयले की गुणवत्ता, राख उपयोग, राख निपटान सिस्टम के प्रकार, अपशिष्ट जल प्रबंधन पहलुओं आदि जैसे कई कारकों के द्वारा निर्धारित की जाती है।

भारत सरकार द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से CO₂ उत्सर्जन और जल खपत में कमी लाने के लिए निम्नांकित कदम उठाए गए हैं:

- i. ताप विद्युत उत्पादन के लिए अधिक कुशल सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को अपनाना, जिसके परिणामस्वरूप विनिर्दिष्ट कोयले की खपत में कमी (किलोग्राम/किलोवाट प्रति घंटा) होगी और इससे CO₂ उत्सर्जन और जल खपत में कमी आएगी।
- ii. अकुशल एवं पुरानी ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से सेवामुक्त किया जा रहा है। लगभग 3100 मेगावाट की क्षमता को पहले ही सेवानिवृत्त किया जा चुका है।
- iii. सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई है।
- iv. ऊर्जा कुशलता ब्यूरो (बीईई) द्वारा वर्द्धित ऊर्जा कुशलता राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के अंतर्गत परफार्म एचीव एंड ट्रेड (पीएटी) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में देश में ऊर्जा कुशलता में सुधार लाने के लिए कुल 144 ताप विद्युत केन्द्रों को अलग-अलग लक्ष्य सौंपे गए हैं। इन ताप विद्युत केन्द्रों में कुशलता वृद्धि से जीवाश्म ईंधन की खपत में कमी आएगी और इससे CO₂ का उत्सर्जन कम होगा।
- v. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित शून्य तरल बहिस्साव, धुले हुए कम राख वाले कोयले का प्रयोग, बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्य प्रणाली आदि जैसे उपायों से कोयला आधारित संयंत्रों में विनिर्दिष्ट जल खपत में धीरे-धीरे अर्थात् पूर्ववर्ती 5-7 मी³ प्रति घंटा प्रति मेगावाट से घटकर वर्तमान में लगभग 3 मी³ प्रति घंटा प्रति मेगावाट हो गयी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-729

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

संचरण हाईवे में संकुलन के कारण विद्युत की बर्बादी

729. श्री नीरज शेखर:

श्री टी. रतिनावेल:

श्री अरविन्द कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि वर्ष 2014-15 के दौरान संचरण हाईवे में संकुलन के कारण अधिशेष विद्युत और कम विद्युत वाले क्षेत्रों के बीच विद्युत के आदान प्रदान में आई रुकावट के फलस्वरूप तीन बिलियन से भी अधिक यूनिट्स का विद्युत अथवा देश में विद्युत के एक दिन की खपत की मात्रा के अनुरूप विद्युत बर्बाद हो गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;
- (ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न विद्युत केन्द्रों से प्राप्त आंकड़े वर्ष 2013-14 के दौरान 5.3 बिलियन यूनिट विद्युत अर्थात् उक्त से भी अधिक विद्युत की बर्बादी दर्शाते हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा इतने बड़े पैमाने पर विद्युत की बर्बादी को रोकने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सीईआरसी की वेबसाइट www.cercind.gov.in पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2013-14 और 2014-15 के दौरान संकुलन के कारण विक्रय हेतु स्वीकृत न की जा सकने वाली ऊर्जा क्रमशः 5.591 बिलियन यूनिट (बीयू) (967.15 बीयू के कुल उत्पादन का 0.58%) और 3.144 बीयू (1,048.673 बीयू के कुल उत्पादन का 0.3%) थी। यह संकुलन पश्चिमी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र के बीच मुख्यतः पर्याप्त अंतर-क्षेत्रीय हस्तांतरण क्षमता के उपलब्ध न होने के कारण महसूस किया गया था।

(ग): अंतर-क्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण में संकुलता को कम करने के लिए, कई अंतरक्षेत्रीय लिंकों की योजना बनाई गई है जो कि पांच क्षेत्रीय ग्रिडों अर्थात् उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वोत्तर को आपस में जोड़ती है। जून, 2015 तक ऐसे अंतर-क्षेत्रीय लिंकों की कुल पारेषण क्षमता 47,450 मेगावाट है, जिसे 12^{वीं} योजना के अंत तक 68,050 मेगावाट तक बढ़ाए जाने की योजना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-730

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड को सहायता

730. श्री अब्दुल वहाब:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केरल राज्य विद्युत बोर्ड को वर्ष दर वर्ष घाटा होता जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान हुए घाटे का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इस अवधि के दौरान बोर्ड को किस प्रकार की सहायता दी गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : केरल राज्य विद्युत बोर्ड का 1 नवंबर, 2013 से केएसईबी लिमिटेड में निगमितीकरण किया गया है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित राज्य विद्युत यूटिलिटी के कार्य-निष्पादन संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान लाभ अर्जित किया/घाटा उठाया है (जैसा कि नीचे दर्शाया गया है) :

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

		2011-12	2012-13	2013-14
प्रोदभूत आधार पर कर पश्चात् लाभ/(हानि)	केएसईबी	241	241	140
	केएसईबी लि.	-	-	(29)
	केरल	241	241	111

(ग) : वितरण क्षेत्र का विकास करने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) अनुमोदित की है।

पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) स्कीम जिसे अब डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया है, के अंतर्गत 5.31 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत पर 15 गांवों/वासस्थलों और 730 बीपीएल घरों को शामिल करते हुए 15 परियोजनाएं डीडीजी परियोजनाओं के अंतर्गत जनवरी, 2014 में संस्वीकृत की गई थीं।

पूर्ववर्ती पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) जिसे अब आईपीडीएस में समाहित कर दिया गया है, के अंतर्गत 206.13 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है और राज्य में आईटी सक्षमीकरण और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान 30.92 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-731

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय विद्युत निधि की उपलब्धियां

731. श्री संजय राउत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और विशेषकर महाराष्ट्र की विभिन्न विद्युत कम्पनियों को विद्युत वितरण तंत्र को सुधारने हेतु राष्ट्रीय विद्युत निधि के अंतर्गत मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) राष्ट्रीय विद्युत निधि के कार्यान्वयन के बाद से कम्पनियों द्वारा विद्युत की आपूर्ति के मामले में क्या निष्कर्ष सामने आए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क): भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान वितरण क्षेत्र में अवसंरचना में सुधार लाने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत किए गए पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों), दोनों के द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करवाने के लिए जुलाई, 2012 में राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम) की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र राज्य के लिए, 7940 करोड़ रुपये (एमएसईडीसीएल और बीईएसटी, दोनों के लिए) के परियोजना ऋण को 254 परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि के अंतर्गत शामिल करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्य/डिस्कॉमवार ब्यौरा अनुबंध में है।

(ख): वितरण यूटिलिटीयां राष्ट्रीय विद्युत निधि के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए एटीएंडसी हानि में कमी और राजस्व अंतर को कम करके प्रचालन दक्षता में सुधार लाने का प्रयास कर रही हैं। राष्ट्रीय विद्युत निधि स्कीम डिस्कॉमों के निष्पादन पैरामीटरों के सुधार के लिए सक्षमकर्ताओं में से एक सक्षमकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। ब्याज सब्सिडी के लाभ को संबंधित यूटिलिटीयों की एआरआर में दर्शाते हुए अंततः उपभोक्ता तक पहुंचाया जाएगा।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 27.07.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 731 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनईएफ के अंतर्गत कवरेज के लिए अनुमोदित ऋण व ऋणदाताओं से निकासी का ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	यूटिलिटी का नाम	परियोजनाओं की संख्या	एनईएफ के अंतर्गत योग्य कुल ऋण राशि	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार संचयी संवितरण
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	3	143.57	22.3
2		आंध्र प्रदेश साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	118	2,098.91	1329.11
3	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	6	406.37	66.18
4	दिल्ली	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	1	60	0
5	गुजरात	मध्य गुजरात विज कंपनी लि.	1	83	80
6	हरियाणा	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	34	414.12	74.68
7		उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम	53	714.53	265.59
8	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	68	410.62	153.87
9	कर्नाटक	बैंगलोर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.	119	2,564.05	645.55
10		चामुंडेश्वरी इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कं. लि.	15	451.7	249.75
11		हुबली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कं. लि.	25	914.27	87.54
12		मंगलोर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.	2	89.66	34.81
13	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी लि.	1	84.3	60.1
14		एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.	2	196.53	94.37
15	महाराष्ट्र	ब्रिहान-मुंबई इलैक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट	11	405.19	0
16		महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.	243	7,534.98	1008.06
17	पंजाब	पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लि.	25	1,035.84	330.25
18	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	19	578.35	300.04
19		जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	21	923.04	626.33
20		जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	19	652.97	443.82
21	तमिलनाडु	तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लि.	54	1,340.27	430.72
22	तेलंगाना	तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	89	696.19	438.88
23		तेलंगाना स्टेट नॉर्थन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	51	2,354.90	0
24	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.	11	371.61	259.97
25	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.	18	1,881.81	433.74
कुल			1009	26,406.77	7435.66

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-732

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

आन्ध्र प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए
सरकार की गारंटी

732. श्री सी. एम. रमेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को जानकारी है कि विद्युत उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 4,000 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु जापान के मैसर्स सुमीटोमो के साथ एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सरकार की गारंटी देने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार जमानतदार बनने को इच्छुक नहीं है;

(घ) क्या सरकार को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कोई कमी मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उसने राज्य सरकार को कमियों को सुधारने की सलाह दी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में श्रीकाकुलम ताप विद्युत संयंत्र (4x1000 मेगावाट) के विकास के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए 27 नवंबर, 2014 को मैसर्स सुमीटोमो कारपोरेशन लिमिटेड, जापान के साथ समझौता जापान (एमओयू) किया है।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) से (ङ) : उपर्युक्त (ख) के परिप्रेक्ष्य में, प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-733

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

देश में विद्युत की स्थिति

733. श्री लाल सिंह वडोदिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में कुल कितनी मेगावाट बिजली की जरूरत है;
- (ख) देश में कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है;
- (ग) सरकारी क्षेत्र द्वारा कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है;
- (घ) निजी कम्पनियों द्वारा कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है; और
- (ङ) आवश्यकतानुसार बिजली का उत्पादन करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : अप्रैल-जून, 2015 के दौरान की कुल ऊर्जा आवश्यकता तथा व्यस्ततमकालीन मांग क्रमशः 273,643 एमयू तथा 1,47,279 मेगावाट थी।

(ख) से (घ): मेगावाट में उत्पादित विद्युत एक तात्कालिक मूल्य है तथा इसलिए यह समय-समय पर भिन्न होती है। इस प्रकार से, एक निर्धारित अवधि में उत्पादित विद्युत की मात्रा को मिलियन यूनिट (एमयू) में मापा जाता है। वर्ष 2014-15 तथा चालू वर्ष (अप्रैल-जून, 2015) में केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन केंद्रों, राज्य क्षेत्र उत्पादन केंद्रों तथा निजी क्षेत्र उत्पादन केंद्रों द्वारा एमयू के संबंध में उत्पादित विद्युत के ब्यौरे अनुबंध में हैं।

(ङ) : देश में विद्युत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अखिल भारतीय आधार पर पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है। इस स्तर की क्षमता अभिवृद्धि से, अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की मांग के, बारहवीं योजना के अंतिम वर्ष (2016-17) तक पूरा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30,000 मेगावाट की ग्रीड इंटरैक्टिव नवीकरणीय क्षमता की योजना बनाई गई है।

राज्य सभा में दिनांक 27.07.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 733 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2014-15 और 2015-16 (जून, 2015 तक) देश में क्षेत्र-वार उत्पादन (मिलियन यूनिट में)		
क्षेत्र	उत्पादन मिलियन यूनिट में	
	2015-16 (जून, 2015 तक)*	2014-15
केंद्रीय	1,04,446.43	3,95,110.1
राज्य	86,115.33	3,66,803.02
सरकार	1,90,561.76	7,61,913.12
निजी	79,431.21	2,81,752.1
भूटान से आयात	1,095.87	5,007.74
कुल जोड़	2,71,088.84	10,48,672.96
* वास्तविक-सह-आकलन पर आधारित अंतिम		
टिप्पणी :- केवल 25 मेगावाट से अधिक के परम्परागत स्रोतों (ताप, जल और न्यूक्लियर) के उत्पादन केंद्र		

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-734

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

हार्डटैशन तारों के कारण मौतें

734. श्री राजकुमार धूतः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि हार्डटैशन संचरण तारें देश के विभिन्न हिस्सों में कई मौतों के लिए जिम्मेदार रही हैं;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी वर्ष-वार, राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार इस संबंध में क्या-क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए विद्युत का वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है जो सुरक्षा विनियमों/प्रावधानों को लागू करते हुए सुरक्षित स्थिति में लाइनों का रख-रखाव करने के लिए उत्तरदायी होती है। घातक/गैर घातक विद्युत दुर्घटनाएं देश के विभिन्न भागों में घटित होती हैं जहां हार्ड टैशन पारेषण तारें, विशेषरूप से शिरोपरि लाइनें, राज्य सरकारों की वितरण कंपनियों के स्वामित्व में होती हैं। घातक मानव वैद्युत दुर्घटनाओं जिनमें हार्ड टैशन (एचटी) तारों से हुई दुर्घटनाएं शामिल हैं, के 2013-14 तक के तीन वर्षों के ब्यौरे, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को केंद्रीय/राज्य संस्थापनाओं से प्राप्त हुए हैं, अनुबंध में हैं। केंद्र सरकार के मामले में, पारेषण लाइनें मुख्य रूप से पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास हैं, जहां पिछले तीन वर्षों में हुई किसी भी घातक वैद्युत दुर्घटना की रिपोर्ट केंद्र सरकार के वैद्युत निरीक्षणालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 की अपेक्षाओं के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सुरक्षा विनियम अर्थात् केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय), विनियम, 2010 तैयार एवं अधिसूचित किए हैं जो देश में सभी संस्थापनाओं पर लागू हैं। इन विनियमों का अध्याय-7 विशिष्ट रूप से शिरोपरि लाइनों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों के लिए है। राज्य सरकारों की वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) अपनी लाइनों का रख-रखाव उक्त विनियमों की अपेक्षानुसार सुरक्षित अवस्था में करने के लिए उत्तरदायी हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 के अंतर्गत, केंद्र/राज्य सरकारों के पास अपने अधिकार क्षेत्र की लाइनों सहित वैद्युत संस्थापनाओं में उक्त सुरक्षा विनियमों को लागू करने के लिए उनके स्वयं के वैद्युत निरीक्षणालय हैं।

राज्य सभा में दिनांक 27.01.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 734 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य और यूटी	2011-12	2012-13	2013-14
आंध्र प्रदेश	722	1007	254
अरुणाचल प्रदेश	75	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
असम	77	14	73
बिहार	उपलब्ध नहीं	77	10
छत्तीसगढ़	89	219	80
गोवा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
गुजरात	17	405	585
हरियाणा	उपलब्ध नहीं	146	59
हिमाचल प्रदेश	110	25	25
जम्मू व कश्मीर	215	उपलब्ध नहीं	21
झारखण्ड	304	उपलब्ध नहीं	30
कर्नाटक	0	242	451
केरल	उपलब्ध नहीं	161	241
मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं	387	262
महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं	11	1041
मणिपुर	98	5	उपलब्ध नहीं
मेघालय	115	उपलब्ध नहीं	14
मिजोरम	240	13	6
नागालैंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
ओडिशा	535	54	56
पंजाब	11	146	131
राजस्थान	136	508	उपलब्ध नहीं
सिक्किम	117	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं	483	569
त्रिपुरा	14	11	16
उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	136	611
उत्तराखण्ड	171	उपलब्ध नहीं	54
पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं	17	182
दिल्ली	उपलब्ध नहीं	12	121
खदाने	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
केंद्र सरकार संस्थापना	9	12	5
रेलवे	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	25
संघ राज्य क्षेत्र			
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
चंडीगढ़	1	1	0
दादर एवं नागर हवेली	उपलब्ध नहीं	3	0
दमन एवं दीव	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
पुडुचेरी	उपलब्ध नहीं	4	11
कुल (अखिल भारत)	3056	4099	4933

एनए - उपलब्ध नहीं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-735

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र में विद्युत की स्थिति

735. श्री विवेक गुप्ता:

श्री अविनाश पांडे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या सरकार उक्त राज्यों को अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद करने का विचार रखती है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या उक्त राज्य के कुछ क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन की बहुत कम संभाव्यता है और इन क्षेत्रों को हर रोज लगातार कई घंटों की विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा राज्य में विद्युत संकट का समाधान करने हेतु क्या-क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 2015-16 (जून, 2015 तक) के दौरान पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में स्थित स्टेशनों से परंपरागत स्रोतों (25 मेगावाट से अधिक) से कुल विद्युत उत्पादन क्रमशः 11952.85 मिलियन यूनिट (एमयू) और 28888.22 एमयू हुआ।

(ख) और (ग) : 12वीं योजना अवधि के दौरान केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से पश्चिम बंगाल राज्य का संभावित लाभ 302 मेगावाट है जिसमें से 166 मेगावाट (हिस्सा) पहले ही चालू किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य क्षेत्र में 250 मेगावाट (थर्मल) और निजी क्षेत्र में 600 मेगावाट (थर्मल) की क्षमता अभिवृद्धि पहले ही चालू की जा चुकी है।

12वीं योजना अवधि के दौरान, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से महाराष्ट्र राज्य का संभावित लाभ 1,335.5 मेगावाट है जिसमें से 810 मेगावाट (हिस्सा) पहले ही चालू की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, राज्य क्षेत्र में 1,160 मेगावाट (थर्मल) और निजी क्षेत्र में 4,960 मेगावाट (थर्मल - यूएमपीपी के हिस्से सहित) की क्षमता अभिवृद्धि पहले ही चालू की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर गांवों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करना एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, केंद्र सरकार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों और पारेषण प्रणालियों की स्थापना द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-736

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अनुसंधान और
विकास संबंधी गतिविधियां

736. श्री देवेंद्र गौड टी.:

श्री ए. विलियम रबि बर्नाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 1000 करोड़ रुपये की लागत से एक अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य शुरू किया है जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत उत्पादन, अपशिष्ट प्रबंधन, कुशलता, सुधार और लागत को कम करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल होंगे;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य के माध्यम से निगम को मिली सफलता का ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त (क) में उल्लिखित क्षेत्रों में उसका किस प्रकार से प्रयोग किया गया है;
- (घ) क्या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने हेतु निगम ने कम मात्रा में कोयले का उपयोग करने वाली विद्युत उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए काम करने का निर्णय लिया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एनटीपीसी ने विद्युत शक्ति के क्षेत्र में अनुसंधान प्रौद्योगिकी विकास तथा वैज्ञानिक सेवाओं के लिए अत्याधुनिक केंद्र के रूप में एनटीपीसी ऊर्जा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संघ (नेत्रा) की स्थापना की है। एनटीपीसी ने 2014-15 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर 129.56 करोड़ रूपए व्यय किए हैं।

(ग) : नेत्रा ने एनटीपीसी के प्रचालनरत केंद्रों को वेस्ट फ्लू गैस से लो ग्रेड के क्षेत्रों को ताप रिकवरी, सहायक विद्युत खपत में कमी, रोबोटिक निरीक्षण, विश्वसनीयता में वृद्धि करने के लिए विद्युत संयंत्र घटकों के स्थिति संबंधी आकलन इत्यादि के क्षेत्रों में कई अभिनव समाधान उपलब्ध करवाए हैं।

(घ) और (ङ) : जी, हाँ। एनटीपीसी, भेल तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) ने उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे परंपरागत 500 मेगावाट सब-क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्रों की तुलना में दक्षता में लगभग 46% की वृद्धि होगी तथा कार्बन डाईआक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 17% की कमी आएगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-737

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों हेतु छूट

737. श्री सुखेन्दु शेखर रायः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने आयातित प्राकृतिक गैस की कीमत और एलएनजी की घरेलू कीमत के विलय के लिए गैस पूलिंग तंत्र विकसित किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को दी जा रही विशिष्ट छूटों जैसे कि सीमा-शुल्क माफ करना, वैट आदि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्रमशः गैस/कोयला/पन/सौर आधारित विद्युत संयंत्रों की प्रति यूनिट टेरिफ की लागत क्या है; और
- (ङ) गैस आधारित संयंत्रों के अतिरिक्त विद्युत संयंत्रों को दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों तथा लक्ष्य पीएलएफ तक गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों के लिए वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में रिवर्स ई-बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए स्पॉट आरएलएनजी का आयात करने की स्कीम स्वीकृत की है। स्कीम के अंतर्गत दी गई रियायतें इस प्रकार हैं :

- i. आयातित एलएनजी पर सीमा-शुल्क माफ करना;
- ii. मूल्य संवर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी एवं प्रवेश कर माफ करना;
- iii. पुनः गैसीकरण तथा परिवहन पर सेवा कर माफ करना;
- iv. पाइप लाइन प्रशुल्क प्रभारों, पुनःगैसीकरण प्रभारों तथा बाजार मार्जिन में कमी,
- v. स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रभारों तथा हानियों से छूट।

(घ) : गैस/कोयला/जल विद्युत/सौर आधारित विद्युत संयंत्रों की प्रति यूनिट प्रशुल्क लागत अलग-अलग होती है और ईंधन के प्रकार, ईंधन के स्रोत, संयंत्र के स्थान, यूनिट के आकार, संयंत्र की प्रौद्योगिकी तथा संयंत्र दक्षता जैसे पैरामीटरों पर निर्भर करती है।

(ङ) : विद्युत उत्पादन संयंत्रों को दी गई रियायतें अनुबंध में दी गई हैं।

राज्य सभा में दिनांक 27.07.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 737 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

(i) मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत, विद्युत परियोजनाओं को पूंजीगत उपकरण के आयात पर शून्य सीमा शुल्क, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय 8 के अंतर्गत, मान्य निर्यात लाभ दिए जाते हैं और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-क में यथावर्णित आयकर अवकाश अवधि प्रणाली के लिए आयकर लाभ दिए जाते हैं। जिन नई परियोजनाओं को 19.07.2012 से पहले ही मेगा/अनंतिम मेगा प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं, उन्हें छोड़कर नई परियोजनाओं के लिए मेगा विद्युत नीति समाप्त कर दी गई है।

(ii) सौर विद्युत संयंत्रों के लिए सरकार द्वारा दी गई रियायतें/प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं :-

- (क) सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए अपेक्षित घटकों तथा उपस्करों पर उत्पाद शुल्कों से छूट और आयात शुल्कों पर रियायत।
- (ख) सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए 10 वर्ष के लिए आयकर अवकाश।
- (ग) राज्यों द्वारा व्हीलिंग, बैंकिंग तथा तृतीय पक्ष विक्रय, वापसी खरीद की सुविधा।
- (घ) राज्यों के लिए सौर विद्युत क्रय दायित्व के माध्यम से बाजार।
- (ड) 33 केवी से नीचे के ग्रिड से जुड़ी लघु सौर परियोजनाओं के लिए जीबीआई स्कीमें।
- (च) पारंपरिक ऊर्जा की तुलना में घटे हुए व्हीलिंग प्रभार।
- (छ) नवीकरणीय क्षेत्र-विशिष्ट एसईजेड के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में भारत से निर्यात के लिए विशेष प्रोत्साहन।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-778

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

बिजली कटौती

778. श्री पंकज बोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो महीनों में देश ने अक्सर बिजली कटौतियों का सामना किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में बिजली की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है; और

(घ) बिजली संकट को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत दो महीने अर्थात् मई और जून, 2015 के दौरान विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ऊर्जा की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अंतर, जो विद्युत की कटौती का पैमाना है, क्रमशः 3.8% और 3.7% से घटकर क्रमशः 2.3% और 2.0% तक हो गया है।

(ग) : चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल-जून, 2015 के दौरान देश में विद्युत की कुल मांग और उपलब्धता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

ऊर्जा				व्यस्ततम			
आवश्यकता	उपलब्धता	कमी		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	कमी	
(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
2,73,643	2,67,670	5,973	2.2	1,45,279	1,40,441	4,838	3.3

(घ) : सरकार द्वारा विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं:

- (i) 12वीं योजना के दौरान, अर्थात् 2016-17 तक, 1,18,537 मेगावाट (88,537 मेगावाट पारंपरिक और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित) की क्षमता अभिवृद्धि।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में 10.4% की वृद्धि दर्ज की गई जो केवल एक ही वर्ष में हासिल की गई अधिकतम उपलब्धि है।
- (iii) 12वीं योजना के दौरान, अर्थात् 2016-17 तक, 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण और 2,82,740 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता की स्थापना।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी करके सभी को चौबीस घंटे सातों दिन विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है।
- (v) पर्याप्त और विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइन हानियों को घटाने के लिए सरकार ने उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण तथा कृषि-फीडर्स के पृथक्करण के लिए दो नई स्कीमें, नामतः दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम अनुमोदित की हैं।
- (vi) मौजूदा विद्युत केंद्रों के संयंत्र भार कारक में सुधार लाने के लिए संबंधित राज्य एवं केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटीयों ने पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) की योजना बनाई है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।
- (vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और मांग-पक्ष प्रबंधन उपायों का संवर्द्धन किया जा रहा है।
- (viii) राज्य वितरण यूटिलिटीयों (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अधिसूचित की थी।
- (ix) उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से समाधान।
